III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2007

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर

/2017 निगरानी

1– गंगा राम पुत्र कमल सिंह रघुवंशी
2– वृजेश पुत्र भमरलाल ब्राहमण
दोनों ग्राम करख्या तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– पहलवान पुत्र बारेलाल चमार
ग्राम हिनोतिया तहसील शाढौरा
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश
2– म0प्र0शासन व्दारा राजस्व निरीक्षक
तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 – राजस्व निरीक्षक, वृत्त शाढौरा व्दारा प्र0क0 11 अ–12/ 2016–17 में किये गये सीमांकन दिनांक 19–5–17 के विरूद्ध, जिसमें पारित अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की गई है।)

महोदय,

यह कि ग्राम करख्या में अनावेदक कमांक 1 के स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 309/4 ख रकबा 0.500 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 312/4 रकबा 0.127 हैक्टर है। इसी भूमि से लगी हुई भूमि आवेदकगण की है। दिनांक 19–5–17 को मेढ़िया कास्तकारों को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना राजस्व निरीक्षक शाढौरा एंव हलका पटवारी ने अनावेदक कमांक–1 की भूमि का सीमांकन कर दिया एंव आवेदक क–1 की भूमि में से 0.373, एंव 0.127 है. भूमि नापकर अनावेदक कमांक –1 की होना बता दी गई। इसी प्रकार आवेदक कमांक 2 की भूमि में से 0.100 है. भूमि अनावेदक कमांक–1 की होना बता दी गई, जिसकी सूचना आवेदकगण को प्रदान नहीं की गई।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू.रा./2017/2007

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-10-2017	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त शाढ़ौरा तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 11 अ 12/16–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19–5–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण एंव अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त शाढ़ौरा के प्रकरण कमांक 11 अ 12/16–17 का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक को प्राप्त पटटे की भूमि स0क0 309/4ख रकबा 0.500 है0 तथा स0नं0 312/4 रकबा 0.127 है0 का उसके व्दारा सीमांकन कराया गया है जिसके ॲश भाग 0.373 है. पर आवेदक गंगाराम , सर्वे कमांक 312/4 रकबा 0.127 हैक्टर पर अन्य का एंव सर्वे कमांक 309/4 में से रकबा 0.100 है. पर बृजेश कुमार का बेजा कब्जा पाया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक की भूमि के सीमांकन में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सीमांकन किया गया है एंव उनके खाते की जमीन अनावेदक को नप्ती करके गलत ढंग नाप कर बताई गई है क्योंकि अनावेदक को पटटे पर दी गई भूमि राजस्व कागजात में तो अंकित है किन्तु पटटा अनुसार दिये गये कब्जे की भूमि नक्शें में न होने स्थल पर नहीं है जिसके कारण यह भ्रॉति हुई है कि आवेदकगण पटटे की भूमि पर कब्जा किये हैं। 4/ प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने से स्थिति यह है कि जब अनावेदक के पटटे की भूमि का सीमांकन किया गया, अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का बेजा कब्जा पाया गया। यदि कब्जे की भूमि को आवेदक स्वयं की भूमि होना बताते हैं तव वह स्वयं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से अथवा उनसे वरिष्ठ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख/ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	